Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-12, Issue-1, June-2018

मनरेगा योजना– प्रभावों एवं उपलब्धियों का एक विश्लेशणात्मक अध्ययन

Chandra Pal
Assistant Professor in Commerce
Govt. P.G. College, Agastyamuni-246421 Rudraprayag (UK)
Mobile No. 98372-64220
E Mail- cpcommerce1984@gmail.com

Dr. Dharmendra Kumar
Senior Assistant Professor in Commece
Govt. P.G. College, Lohaghat- 262524 Champawat (UK)
Mobile No. 94100-13930
Email- dr.dheeraj1972@gmail.com

शोध सारांश

विकासशील देशों में गरीबी तथा बेरोजगारी से निपटने के लिए विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराया जाता है। संकट के समय ये रोजगार कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होते हैं। इन कार्यक्रमों से व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्थायी संपत्तियों में वृद्वि होने से दूसरे चक्र के रोजगारों का सृजन भी हो रहा है। इन कार्यक्रमों में महात्मा गाँधी नरेगा मुख्य स्थान रखती है है। इसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीणों की आजीविका को सुरक्षित कर अतिरिक्त आय के अवसरों में वृद्वि करना है। मनरेगा में 5 लाख लोगों को सालाना रोजगार मिलता है। प्रस्तुत शोधपत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के रूद्रपुर विकासखण्ड में मनरेगा योजना के फलस्वरूप लाभार्थियों की स्थिति में आए बदलावों को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

की वर्डस– रोजगार कार्यक्रम, महात्मा गाँधी नरेगा, विकासशील देश तथा गरीबी उन्मूलन।

प्रस्तावना– भारत एक विकासशील देश है। यहां लगभग 6 लाख 38 हजार गांव हैं। ये गांव देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। यहां प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं होते के कारण पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन नहीं हो पाता। इससे श्रम शक्ति का दबाव कृषि पर पड़ता है। चूंकि अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण गांवों में अदृश्य बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। महात्मा गांधी ने बेरोजगारी को सामाजिक अपराध की संज्ञा देते हुए कहा था, **किसी भी स्वस्थ्य समाज के अन्दर चंद व्यक्तियों के पास धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का बेकार होना सामाजिक अपराध का रोग है।**[1] जब देश आजाद हुआ तब भारत की आबादी 35.40 करोड़ थी, जो सन् 2011 में 121 करोड़ से अधिक हो गई। आंकड़े बताते हैं कि 1951 में कुल आबादी का 83 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में रहती थी, जो 2001 में 74 प्रतिशत तथा 2011 में 68.48 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रह गई। वर्तमान में यह घटकर 65 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के साथ–साथ आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है। जितनी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उतनी तेजी रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से धनी भारत में विकास की अपार सम्भावनाएं रहते हुए भी बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से जुड़ा रहा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है, जिससे समाज या व्यक्ति जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहता है। आजादी के 70 सालों से निरन्तर इस दिशा में अनेक योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों को चालू किया, किन्तु समस्या पहले से अधिक विकट होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर रोजगार प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं संबद्ध व्यवसायों में अधिक है, जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार बहुत सीमित है। रोजगार, आय और जीविकोपार्जन का साधन है और साथ ही लोगों के जीवन यापन की समग्र परिस्थिति को प्रतिबिम्बित करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) का परिचय–

भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां की अधिकांश जनसंख्या गावों में निवास करती है। आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अभाव में गांवो से निरंतर शहरों की ओर पलायन हो रहा है, परिणामस्वरूप गांव खाली हो रहे हैं। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने और ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ की। इस योजना की शुरूआत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना का विलय करके की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम संसद में सितम्बर 2005 में पारित हुआ। योजना की शुरूवात सर्वप्रथम आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले में 2 फरवरी 2006 से हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को तीन चरणों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश के ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया।[2] वर्तमान में यह देश के सभी 685 जिलों ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।[3] प्रारम्भ में इसे **नरेगा** कहा जाता था, जिसका बाद में दिनांक 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना **(मनरेगा)** कर दिया गया है। मनरेगा में सूखा एवं अकाल, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा वनवासियों तथा आदिवासियों क्षेत्रों में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिए हैं। वर्ष 2017–18 के बजट में अब तक सर्वाधिक 48000 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष 38500 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे। सरकार ने बजट सत्र में कहा कि वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।[4] यह विश्व का सबसे वृहत मजदूरी कार्यक्रम है।

योजनान्तर्गत मजदूरी व्यय का 100 प्रतिशत तथा सामग्री 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार और सामग्री का शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। इसमें मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60:40 है। मनरेगा में कार्य उसके निवास स्थान के 5 किमी0 के अन्तर्गत दिया जाता है। इससे बाहर काम मिलने पर मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रा भत्ता के रुप में दिया जाता है। पंजीकृत परिवार को काम की मांग करने की निर्धारित तिथि के बाद अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो उसे नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने से प्रत्येक राज्य में मजदूरी दर भिन्न–भिन्न है।

साहित्य पुनरावलोकन

डा0 सुरेन्द्र कटारिया [5] ने **"आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान"** नामक लेख में बताया कि नरेगा ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे साधनविहीन श्रमिक परिवारों की दशा एवं दिशा दोनों को बदल दिया है। शहरों की ओर पलायन कम हुआ है। घर के समीप अतिरिक्त रोजगार मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित सम्बल मिला है। कृषि एवं गैर कृषि कार्यो में लगें ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी की क्रय शक्ति बढने से उपभोक्ता बाजार विकसित हुआ है। जिससे मंदी से उबरने में सहायता मिली है। लेकिन नरेगा में भ्रष्टाचार है, तो भारतीय मानसिकता और राष्ट्रप्रेम के अभाववश हैं।

डा0 अतुल कुमार तिवारी [6] ने **"नरेगा ग्रामीण भारत मे बदलाव लाने का अभियान"** नामक लेख में बताया कि नरेगा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। प्रारम्भ से अब तक 10 करोड़ से भी अधिक लोग लाभान्वित हो चुके है। नरेगा से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी आई है, आमदनी बढने से खरीद क्षमता में वृद्धि हुई है और शुष्क एवं उसर क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ा है।

सुभाश सतिया [7] ने अपने आलेख **"नरेगा ने खोले गांवों में रोजगार के नए द्वार"** में बताया नरेगा का प्रभाव केवल रोजगार के अवसर सृजित करने तक सीमित नहीं है, यह कार्यक्रम असल में ग्रामीण जीवन में क्रान्ति का अग्रदूत सिद्ध हो रहा है। यह ग्रामीण विकास का इंजन बनकर सामने आ रहा है। इसकी बदौलत गांवों में विकास कार्यो तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण को गति मिल रही है। इसके विपरीत नरेगा में कई तरह की कमियों

और खामियों की शिकायतें मिल रही है। इसके सुचारू कियान्वयन सभी राज्यों में समान गति और लगन के साथ लागू नहीं किया जा रहा है। जिन राज्यों मे इसे कुशलता और ईमानदारी से लागू किया गया है, वहां पलायन और गरीबी में कमी आई है। गरीबों और कमजोर वर्गो के लिए सामाजिक सुरक्षा का ढांचा विकसित हुआ है।

सुभाष सेतिया [8] ने अपने लेख **''गांवों में कायापलट का क्रान्तिकारी कदम–मनरेगा''** में बताया, मनरेगा में रोजगार की व्यस्था का ही नहीं न्यूनतम 100 दिनों की गारंटी में प्रावधान है। पूर्व मे प्रचलित किसी भी योजना में रोजगार की कानूनी गारंटी नहीं दी गई। इससे ग्रामीणों के आत्मविश्वास के वृद्धि हुई है तथा सामाजिक विषमता में कमी आयी है। मनरेगा की सफलता का एक ओर यह आयाम है कि इसकी बदौलत गांवो में विकास कार्यो तथा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को गई गति मिल रही है। लेकिन चिन्ताजनक तथ्य यह है कि इसका कियान्वयन सभी राज्यों में समान गति तथा लगन के साथ के साथ लागू नहीं किया जा रहा। आन्ध्रप्रदेश जैसे राज्य में इसने ग्रामीण समाज मे क्रान्ति ला दी है, लेकिन अन्य राज्यों में इसका कार्यान्यन बहुत ढीला है। भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीणों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा।

अमरजीत सिन्हा [9] ने अपने लेख **"आजीविका के माध्यम से बदलता ग्रामीण जीवन"** में बताया, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आती है तो गरीबी का उन्मूलन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सभी विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा 3–4 लाख करोड़ सालाना खर्च किया जाते हैं। मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधनो को आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो रहा है वहीं दूसरी ओर आजीविका के माध्यम से गरीबी तथा बेरोजगारी दूर हो रही है। योजना में अधिकतर कार्य जल संरक्षण से सम्बन्धित हैं। मनरेगा ने 230 करोड़ दिन के बराबर रोजगार पैदा किए जो संशोधित श्रम बजट से अधिक है। वर्ष 2016–17 में महिलाओं की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत से अधिक रही है। इसी वर्ष पानी से सम्बन्धित 15.47 लाख काम पूरे हुए जिसमें से 5.66 लाख कृषि तालाब हैं। अब योजना के अकुशल श्रमिकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है।

निकिता ओसवाल[10] अपने रिचर्स पेपर में बताया कि हरियाणा अकुशल श्रम को मजदूरी के देने में सबसे आगे है। अनुसूचित जातियों को राष्ट्र तथा राज्य के औसत दर से अधिक मानव सृजित दिवस दिया गया। लाभार्थियों को मांग के अनुरूप रोजगार कम दिया गया।

कु0 ज्याति जोशी तथा डॉ0 कवलजीत कौर[11] ने अपने शोध पत्र के निष्कर्ष में पाया कि मनरेगा में काम करने वाले अधिकतर युवा हैं। इनको मनरेगा की अधिक जानकारी है। मनरेगा में मजदूर की संख्या कम हैं। श्रमिकों का मनरेगा से घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता है। मनरेगा में 100 दिन का कार्य तथा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। मनरेगा से सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होने सुझाव दिया है कि मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाकर कियान्वयन सुनियोजित ढंग से करना चाहिए।

सनी कुमार सुमन[12] ने अपने शोध पत्र में बताया कि मनरेगा कार्यक्रम के फलस्वरूप मजदूरों का दूसरे राज्यों में, गांव में ही रोजगार मिलने के कारण, पलायन में कमी हुई है। मनरेगा कार्यक्रम की अधिकतर लोगो में जागरूकता की कमी है। कई सीमाओं के बावजूद मनरेगा कार्यक्रम में निर्धन जनसंख्या को लाभ मिलकर पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

विक्रम सिंह[13] ने अपने आलेख **''भारत के ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदान एवं चुनौतियां''** नामक शीर्षक में बताया कि मनरेगा योजना में रोजगार पाने वालों का हिस्सा महिलाओं का है, जिससे उनको आर्थिक आजादी प्राप्त हो रही है। मनरेगा कुछ हद तक ही सफल हो पायी है। जिन उद्देश्यों को लेकर मनरेगा बनी उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए, ताकि गरीबों को रोजगार का दिया वायदा पूरा हो सके। उन्होने बताया कि मनरेगा में जालसाजी और भ्रष्टाचार को रोकना ग्रामीण मंत्रालय तथा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

श्रेयसी दास, अभिलाशा सिंह[14] ने शोध अध्ययन में पाया कि मनरेगा योजना से बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मनरेगा में कार्यरत महिलाओं का अपने बच्चों पर पर्याप्त समय नहीं देने के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। महिलाओं

को रोजगार तथा आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ बढ़ी आय तथा काम करने का समय दोनों विपरीत है।

भारद कुमार पाराशर[15] ने अपने शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि मनरेगा से पलायन स्तर कम हुआ है। श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर का सुधार हुआ है। योजना रोजगार उपलब्ध कराने में सफल हुई और इसके प्रावधानों का विधिवत पालन किया जा रहा है।

शिव कुमार[16] के शोध कार्य के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि मनरेगा लागू होने से गैर कृषि मजदूरी में वृद्धि हुई है। लाभार्थियों की कृषि आय, पारिवारिक आय, व्यक्तिगत आय तथा वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। उदाहरण के लिए, मनरेगा में विकास योजनाओं की खुली बैठक नहीं होती। लाभार्थियों को कार्य व स्थान की जानकारी समय से नहीं मिलती। अधिकतर लाभार्थी मनरेगा में मजदूरी दर से सन्तुष्ट नहीं है। बेरोजगारी की समस्या में कमी नहीं हुई है।

राजेश[17] के शोध कार्य के निष्कर्ष में पाया कि अधिकांश लोगों को मनरेगा एक्ट और इसके आयोजन की जानकारी नहीं है। 38 प्रतिशत लाभार्थी मनरेगा में मजदूरी दर से असन्तुष्ट है। 44 प्रतिशत लोगों ने मानना है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी योजना का लाभार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

श्रीकान्त मूर्ति[18] के शोध कार्य से निष्कर्ष से स्पष्ट होता है। मनरेगा से पलायन स्तर में कमी आयी है। मनरेगा में लाभार्थियों की आय बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। 82 प्रतिशत लाभार्थियों को मजदूरी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से हो रहा है।

शोध कार्य के उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं–

1. लाभार्थियों की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
2. मनरेगा का लाभार्थियों के जीवनस्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा की उपलब्धियों का आंकलन करना।

परीक्षणार्थ परिकल्पनाएं–

1. मनरेगा में रोजगारन्तर्गत बढ़ी मजदूरी, लाभार्थियों की वार्षिक आय में वृद्वि करती है।
2. मनरेगा से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
3. मनरेगा से ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आयी है।

शोध पद्वतिशास्त्र– प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर जिले के रूद्रपुर विकास खण्ड पर आधारित है। शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है। अध्ययन की समस्त ईकाईयां रूद्रपुर विकास खण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत मनरेगा के पंजीकृत लाभार्थी हैं, जो मनरेगा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। रूद्रपुर के 86 राजस्व गांवो में से 10 गांवो के ऐसे मजदूर जिहोंने मनरेगा में कार्य किया है, समग्र का निर्माण करते हैं। सम्रग्र से 200 लाभार्थियों का चयन (प्रत्येक गांव से 20–20 सूचनादाताओं को शामिल कर) सैम्पल के रूप में दैव निदर्शन की उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया है। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा गया है कि ये सभी प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंको पर आधारित है। प्रस्तुत प्राथमिक आंकड़ों का संकलन शोधार्थी द्वारा दिसम्बर–जनवरी 2017 में किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण और प्रयोग किया गया। तत्पश्चात् अध्ययन उद्देश्यों के अनुसार उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गए। इस तरह प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शोध समस्या के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।

सारिणी संख्या– 1 लाभार्थियों की वैयक्तिक तथा समाजार्थिक पृश्ठभूमि–

समाजार्थिक पृश्ठभूमि	विवरण						योग
लैंगिक स्थिति	महिला 88 (44)		पुरूष 112 (56)				**योग 200 (100)**
परिवारिक स्वरूप	एकाकी 106 (53)		संयुक्त 94 (47)				**योग 200 (100)**
वैवाहिक स्थिति	विवाहित 176 (88)		अविवाहित 14 (07)		विधवा/विधुर 10 (05)		**योग 200 (100)**
परिवार का आकार	छोटा परिवार 22 (11)		मध्य परिवार 115 (57.50)		बड़ा परिवार 63 (31.50)		**योग 200 (100)**
धार्मिक संरचना	हिन्दू 174 (87)	मुस्लिम 14 (07)	सिक्ख 12 (06)	ईसाई 00 (00)			**योग 200 (100)**
जातिगत स्थिति	अनु0 जाति 134 (67)	अनु0 जनजाति 00 (00)	अन्य पिछड़ा वर्ग 34 (17)	सामान्य 32 (16)			**योग 200 (100)**
आयु वर्शों में	18–30 32 (16)	30–40 63 (31.50)	40–50 50 (25)	50–60 21(10.50)	60 तथा अधिक 34 (17)		**योग 200 (100)**
व्यवसाय	कृषक 22 (11)	कृषि मजदूर 35 (17.50)	दिहाड़ी मजदूर 108 (54)	निजी व्यवसाय 21(10.50)	सेवा क्षेत्र 14 (07)		**योग 200 (100)**
भौक्षिक स्थिति	निरक्षर 125(62.50)	प्राथमिक 10 (05)	उच्च प्राथमिक 28 (14)	हाईस्कूल 22 (11)	इण्टर 11(5.50)	शैक्षिक स्थिति 4 (2)	**योग 200 (100)**
वार्शिक पारिवारिक आय हजार रू0 में	0–10 07 (3.50)	10–20 10 (05)	20–30 17 (8.50)	30–40 14 (07)	40–50 38 (19)	50 तथा अधिक 114 (57)	**योग 200 (100)**

सारिणी संख्या 1 में लाभार्थियों की वैयक्तिक तथा समाजार्थिक पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है। लैंगिक स्थिति के अन्तर्गत चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं में से 88 महिला (44 प्रतिशत) तथा 112 पुरूष (58 प्रतिशत) हैं। इनमें पुरूषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। पारिवारिक स्वरूप के अन्तर्गत 106 एकाकी परिवार (53 प्रतिशत) तथा 94 संयुक्त परिवार वाले (47 प्रतिशत) हैं। वैवाहिक स्थिति के अन्तर्गत 176 विवाहित (88 प्रतिशत), 14 अविवाहित (7 प्रतिशत) तथा 10 विधवा/विधुर (5 प्रतिशत) हैं। परिवार का आकार के अन्तर्गत 22 छोटे परिवार (11 प्रतिशत), 115 मध्य परिवार (57.50 प्रतिशत) तथा 63 बड़े परिवार के (31.50 प्रतिशत) हैं। धार्मिक संरचना के अन्तर्गत 174 हिन्दू (87 प्रतिशत), 14 मुस्लिम (7 प्रतिशत), 12 सिक्ख (6 प्रतिशत) तथा 0 ईसाई (0 प्रतिशत) हैं। जातिगत स्थिति के अन्तर्गत 134 अनुसूचित जाति (67 प्रतिशत), 0 अनुसूचित जनजाति (0 प्रतिशत), 34 अन्य पिछड़ा वर्ग (17 प्रतिशत) तथा 32 सामान्य जाति के (16 प्रतिशत) हैं। व्यवसाय के अन्तर्गत 22 कृषक (11 प्रतिशत), 35

कृषि श्रमिक (17.50 प्रतिशत), 108 दिहाड़ी मजदूर (54 प्रतिशत), 21 निजी व्यवसाय (10.50 प्रतिशत) तथा 14 सेवा क्षेत्र (7 प्रतिशत) से हैं। आयु वर्ग के अन्तर्गत 18 से 30 आयु वर्ग के 32 (16 प्रतिशत), 30 से 40 आयु वर्ग के 63 (31.50 प्रतिशत), 40 से 50 आयुवर्ग के 50 (25 प्रतिशत), 50 से 60 आयु वर्ग के 21 (10.50 प्रतिशत) तथा 60 या अधिक आयु वर्ग के 34 व्यक्ति (17 प्रतिशत) हैं। शैक्षिक स्थिति के अन्तर्गत 125 निरक्षर (62.50 प्रतिशत), 10 प्राथमिक (5 प्रतिशत), 28 उच्च प्राथमिक (14 प्रतिशत), 22 हाईस्कूल (11 प्रतिशत), 11 इण्टरमीडिएट (5. 50 प्रतिशत) तथा 4 स्नातक (2 प्रतिशत) तक शिक्षा प्राप्त हैं। वार्षिक पारिवारिक आय के अन्तर्गत शून्य से दस हजार रूपए वार्षिक आय वाले 7 (3.50 प्रतिशत), दस से बीस हजार रूपए वार्षिक आय वाले 10 (5 प्रतिशत), बीस से तीस हजार रूपए वार्षिक आय वाले 17 (8.50 प्रतिशत), तीस से चालीस हजार रूपए वार्षिक आय वाले 14 (7 प्रतिशत), चालीस से पचास हजार हजार रूपए वार्षिक आय वाले 38 (19 प्रतिशत) तथा पचास हजार एवं इससे अधिक वार्षिक आय वालों की संख्या 114 (57 प्रतिशत) है।

मनरेगा का लाभार्थियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है–

1 मकान का प्रकार :– इसके अन्तर्गत मनरेगा से पहले मुख्य व्यवसाय से अर्जित आय तथा मनरेगा के बाद मुख्य व्यवसाय एवं मनरेगा से अर्जित आय के आधार पर मकानों में हुए बदलाव का मूल्यांकन किया गया है। चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं के मनरेगा से पहले तथा बाद में हुए मकान के प्रकार का बदलाव निम्न प्रकार है :–

सारिणी संख्या–2 मनरेगा से पूर्व एवं बाद में मकान का प्रकार

क0सं0	मकान का प्रकार	वर्तमान		मनरेगा से पहले	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा	81	40.50	144	72.00
2	पक्का	87	43.50	30	15.00
3	मिश्रित	32	16.00	26	13.00
	योग	**200**	**100**	**200**	**100**

सारिणी संख्या 2 से पता चलता है कि चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं में से मनरेगा से पहले 144 के कच्चे (72 प्रतिशत), 30 के पक्का (15 प्रतिशत) तथा 26 के मिश्रित (13 प्रतिशत) मकान थे। इसी क्रम में पुनः सारिणी संख्या 2 से ज्ञात होता है, कि मनरेगा के बाद, चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं में से 81 के कच्चे (40.50 प्रतिशत), 87 के पक्के (43.50 प्रतिशत), तथा 32 के मिश्रित (16 प्रतिशत) मकान हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि मनरेगा से पहले और बाद में लाभार्थियों के पक्के मकानों की संख्या में 28.50 प्रतिशत तथा मिश्रित मकानों की संख्या में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं मनरेगा के बाद, कच्चे मकानों की संख्या में 31.50 प्रतिशत की कमी आयी है।

2 ईधन का प्रकार :– चयनित 200 कुल उत्तरदाताओं के मनरेगा से पहले तथा बाद में हुए ईधन के प्रकार का बदलाव इस प्रकार है–

सारिणी संख्या–3, मनरेगा से पूर्व एवं बाद में उत्तरदाता के ईधन का प्रकार

क0सं0	ईधन का प्रकार	वर्तमान		मनरेगा से पहले	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	लकड़ी एवं उपले	120	60.00	175	87.50
2	गैस	80	40.00	25	12.50
	योग	**200**	**100**	**200**	**100**

सारिणी संख्या 3 दर्शाती है कि मनरेगा से पहले 175 लकड़ी एवं उपले (87.50 प्रतिशत) से तथा 25 गैस (12.50 प्रतिशत) से खाना पकाते थे। पुनः सारिणी संख्या 3 को देखने से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के बाद 120 लकड़ी एवं उपले (60 प्रतिशत) तथा 80 गैस (40 प्रतिशत) से खाना पकाते हैं। तुलनात्मक रूप से ज्ञात होता है कि मनरेगा से पहले और बाद में गैस से खाना पकाने वाली की संख्या में 27.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

3 बच्चों की शिक्षा :– चयनित 200 उत्तरदाताओं के मनरेगा से पहले तथा बाद में बच्चों की शिक्षा में हुए बदलाव, इस प्रकार हैं–

सारिणी संख्या–4, मनरेगा से पूर्व एवं बाद में उत्तरदाता के बच्चों की शिक्षा

क0सं0	विद्यालय	वर्तमान		मनरेगा से पहले	
		आवृत्ति	प्रति□ात	आवृत्ति	प्रति□ात
1	सरकारी विद्यालय	125	62.50	150	75.00
2	प्राईवेट विद्यालय	39	19.50	17	8.50
3	विद्यालय नहीं जाते	36	18.00	33	16.50
	योग	**200**	**100**	**200**	**100**

सारिणी संख्या 4 से स्पष्ट होता है कि मनरेगा से पहले 150 लाभार्थियों के बच्चे (75 प्रतिशत) सरकारी विद्यालय में, 17 लाभार्थियों के बच्चे (8.50 प्रतिशत) निजी विद्यालय में पढ़ने जाते थे तथा 33 लाभार्थियों के बच्चे (16.50 प्रतिशत), विद्यालय नहीं जाते। पुनः उपरोक्त सारिणी को देखने से पता चलता है मनरेगा के बाद 125 लाभार्थियों के बच्चे (62.50 प्रतिशत) सरकारी विद्यालय में, 39 लाभार्थियों के बच्चे (19.50 प्रतिशत) निजी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तथा 36 लाभार्थियों के बच्चे (18 प्रतिशत) विद्यालय नहीं जाते। तुलनात्मक रूप से ज्ञात होता है कि मनरेगा से पहले और बाद में अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजने वाले लाभार्थियों की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि है।

4 उपचार :– चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं के मनरेगा से पहले तथा बाद में उपचार हेतु अस्पतालों में जाने का वर्गीकरण इस प्रकार है–

सारिणी संख्या–5, मनरेगा से पूर्व एवं बाद में उत्तरदाता का उपचार

क0सं0	अस्पताल	वर्तमान		मनरेगा से पहले	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सरकारी अस्पताल	108	54.00	128	64.00
2	निजी अस्पताल	92	46.00	72	36.00
	योग	**200**	**100**	**200**	**100**

सारिणी संख्या 5 दर्शाती है लाथार्थी मनरेगा से पहले उपचार हेतु 128 सरकारी अस्पताल में (64 प्रतिशत), 72 निजी अस्पताल में (36 प्रतिशत) जाते थे। पुनः उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में अर्थात मनरेगा के बाद 108 सरकारी अस्पताल में (54 प्रतिशत) इलाज तथा 92 निजी अस्पतालों में (46 प्रतिशत) इलाज कराते हैं। तुलनात्मक रूप से हमें ज्ञात होता है कि मनरेगा के बाद लाभार्थियों के निजी चिकित्सालय में इलाज हेतु जाने में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनरेगा से अतिरिक्त आय अर्जन द्वारा लाभार्थी के चिकित्सा कल्याण में वृद्धि हुई है।

5 आय :– मनरेगा में लाभार्थियों को आंशिक रोजगार प्राप्त होता है। मुख्य व्यवसाय लाभार्थी का कुछ और होता है, जिसमें लाभार्थी तथा उसके पारिवारिक सदस्य संलग्न रहते हैं। चयनित

200 कुल उत्तरदाताओं की कुल वार्षिक पारिवारिक आय (मुख्य व्यवसाय तथा मनरेगा से अर्जित आय) इस प्रकार है–

सारिणी संख्या–6, मनरेगा से पूर्व एवं बाद में उत्तरदाता की वार्षिक पारिवारिक आय

क0सं0	वार्षिक पारिवारिक आय (रूपये में)	वर्तमान		मनरेगा से पहले	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	0–10,000	7	3.50	16	8.00
2	10000–20,000	10	5.00	12	6.00
3	20000–30,000	17	8.50	22	11.00
4	30000–40,000	14	7.00	46	23.00
5	40000–50,000	38	19.00	34	17.00
6	50000 से अधिक	114	57.00	70	35.00
	योग	**200**	**100**	**200**	**100**

सारिणी संख्या 6 दर्शाती है मनरेगा से पहले शून्य से दस हजार वार्षिक आय वाले 16 (8 प्रतिशत), दस से बीस हजार वार्षिक आय वाले 12 (6 प्रतिशत), बीस से तीस हजार वार्षिक आय वाले 22 (11 प्रतिशत), तीस से चालीस हजार वार्षिक आय वाले 46 (23 प्रतिशत), चालीस से पचास हजार वार्षिक आय वाले 34 (17 प्रतिशत) तथा पचास हजार वार्षिक आय तथा इससे अधिक कमाने वालों की संख्या 70 (35 प्रतिशत) थी। पुनः उपरोक्त सारिणी संख्या 6 यह भी प्रदर्शित करता है कि मनरेगा के बाद अर्थात वर्तमान में शून्य से दस हजार वार्षिक आय वाले 7 (3.50 प्रतिशत), दस से बीस हजार वार्षिक आय वाले 10 (5 प्रतिशत), बीस से तीस हजार वार्षिक आय वाले 17 (8.50 प्रतिशत), तीस से चालीस हजार वार्षिक आय वाले 14 (7 प्रतिशत), चालीस से पचास हजार वार्षिक आय वाले 38 (19 प्रतिशत) तथा पचास हजार वार्षिक तथा इससे अधिक आय वालों की संख्या 114 (57 प्रतिशत) है।

तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं कि मनरेगा से पहले और बाद में 40000 से 50000 रू0 वार्षिक आय तथा 50000 रू0 तथा इससे अधिक वार्षिक आय वाले लाभार्थियों की संख्या में क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 0–10000, 10000–20000, 20000–30000 और 30000–40000 वार्षिक आय वाले लाभार्थियों की संख्या में मनरेगा के बाद क्रमशः 4.50 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 2.50 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत की कमी आयी है।

6 बचत :– व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है उसमें से कुछ भाग जरूर बचाता है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में बचत कम पायी जाती है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि मुख्य व्यवसाय एवं मनरेगा से अर्जित अतिरिक्त आय से उत्पन्न बचत का प्रयोग लाभार्थियों ने मकान बनाने, आरामदायक वस्तुओं के क्रय तथा संपत्ति सृजन के रूप में किया है। उत्तरदाता की औसत वार्षिक बचत इस प्रकार है–

सारिणी संख्या–7, उत्तरदाता की औसत वार्षिक बचत

विवरण	वर्तमान	मनरेगा से पहले
औसत वार्षिक आय•	45400	39000
औसत वार्षिक व्यय••	44550	38550
औसत वार्षिक बचत (औसत आय–औसत व्यय)	**850**	**450**

• औसत वार्षिक आय = मनरेगा से पूर्व या बाद की कुल वार्षिक आय/कुल सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या = $\Sigma fx \div N$

• • औसत वार्षिक व्यय = मनरेगा से पूर्व या बाद के कुल वार्षिक व्यय/कुल सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या $=\Sigma fx \div N$

रेखाचित्र संख्या– 7

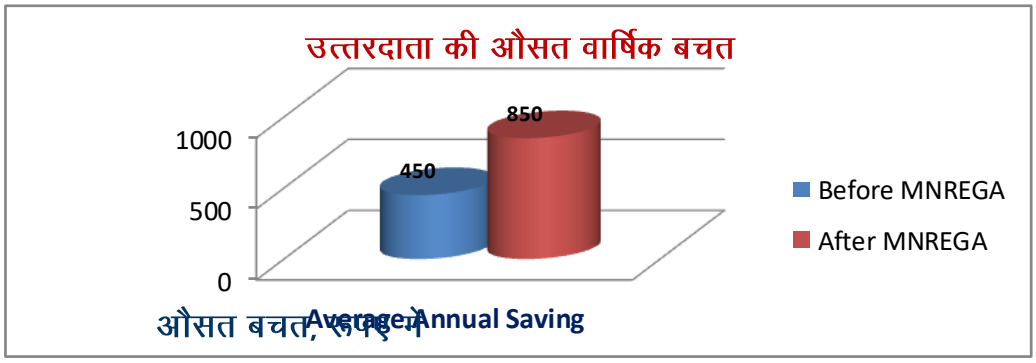

सारिणी संख्या 7 तथा रेखाचित्र संख्या 7 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है मनरेगा से पहले की औसत वार्षिक बचत 450 रू0 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 850 रू0 हो गई। इस प्रकार तुलनात्मक रूप मनरेगा के बाद लाभार्थियों की 400 रू0 की औसत बचत हुई। इस सारिणी से हमें यह भी ज्ञात होता है कि मनरेगा के रोजगारन्तर्गत अर्जित आय, उत्तरदाताओं की वार्षिक पारिवारिक आय में 6400 रू0 औसत (45400–39000) वृद्धि करती है। **उक्त सारिणी तथा रेखाचित्र से हमारी पहली परिकल्पना की भी पुश्टि हो जाती है कि मनरेगा में रोजगारन्तर्गत बढ़ी मजदूरी, लाभार्थियों की वार्शिक आय में वृद्वि करती है।**

सारिणी संख्या–8, मनरेगा के बाद लाभार्थियों के जीवन स्तर में आया बदलाव

मद	बदलाव का प्रकार	बदलाव (प्रतिशत में)
मकान का प्रकार	पक्के मकानों की संख्या में वृद्वि	28.50
	मिश्रित मकानों की संख्या में वृद्वि	3.00
ईंधन का प्रकार	गैस से खाना पकाने वालों की संख्या में वृद्वि	27.50
बच्चों की शिक्षा	निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्वि	11.00
उपचार	निजी अस्पताल में इलाज कराने वालों की संख्या में वृद्वि	10.00
वार्षिक पारिवारिक आय	मनरेगा से पूर्व की औसत वार्षिक आय–39000 मनरेगा से बाद की औसत वार्षिक आय–45400	6400 रू0 की औसत वृद्वि

उपरोक्त सारिणी से दूसरी परिकल्पना भी सत्य साबित होती है कि, मनरेगा से लाभार्थी के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

सारिणी संख्या–9, निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा की उपलब्धियों का आंकलन–

क0सं0	मनरेगा की उपलब्धियों का मूल्यांकन	हां		नहीं	
		आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1	रोजगार के अवसर में वृद्धि	124	62	76	38
2	गरीबी दूर हुई है	96	48	104	52
3	अतिरिक्त आय में वृद्धि	130	65	70	35
4	पलायन में कमी	116	58	84	42
5	महिलाओं का सशक्तिकरण	144	72	56	28
6	ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में उपयोगी	126	63	74	37

रेखाचित्र संख्या– 9

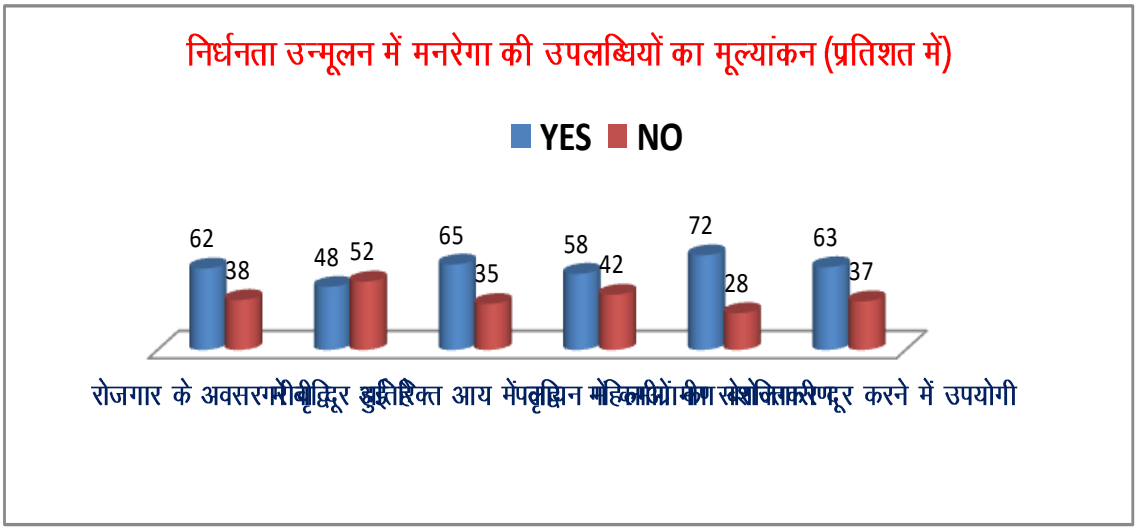

उपरोक्त सारिणी संख्या 9 तथा रेखाचित्र संख्या 9 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं ने माना मनरेगा से 62 प्रतिशत लाभार्थियों रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, 48 प्रतिशत लाभार्थियों का मानना है कि मनरेगा से गरीबी दूर हुई है, 65 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि मनरेगा से उनकी अतिरिक्त आय में वृद्धि हुई है, 58 प्रतिशत लाभार्थियों का कहना है कि मनरेगा से पलायन में कमी आयी है। सबसे अधिक फायदा महिलाओं को हुआ है। उन्हें अब काम की तलाश में घर से दूर नहीं जाना पड़ता। मनरेगा से महिलाएं घर तथा बाहर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। 72 प्रतिशत लाभार्थियों ने माना कि मनरेगा के कारण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। अब वह पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन कर रही है और 63 प्रतिशत लाभार्थियों ने माना कि महात्मा गांधी नरेगा से उनकी ग्रामीण बेरोजगारी दूर हुई है। **इस सारिणी से हमारी तीसरी परिकल्पना की सत्यता की भी पुश्टि हो जाती है कि मनरेगा से ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आयी है।**

निश्कर्श :– आज मनरेगा को ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने की सबसे बड़ी योजना के रूप में देखा जा रहा है। मनरेगा से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है तथा महिलाओं को पहले से अधिक घर के पास रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं, जिससे वह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं। गांवों से पलायन कम हुआ है और गांवों के सामुदायिक परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है। मनरेगा की आए दिन अनियमितताएं देखने–सुनने को मिलती हैं, इसकी मुख्य समस्या भ्रष्टाचार है। लाभार्थियों को आवेदन की पावती न देना, मांग के सापेक्ष रोजगार की अनुपलब्धता का बहाना बनाना, मजदूरी का समय से न मिलना, पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता न दिया जाना, कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव, फर्जी हाजिरी लगाना, जान–पहचान वाले को रोजगार देना, स्थान आबंटन में भेदभाव, काम दिलवाने हेतु रूपये मांगना और जानकारी की आड़ में गुमराह करना जैसी समस्याएं शामिल हैं। मनरेगा अपने आप में बहुत उपयोगी योजना है। केवल सरकारी प्रयासों द्वारा हम अनियमितताएं और भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते, बल्कि सरकार के साथ–साथ आम जनता का इसमें सहयोग चाहिए। जिन राज्यों में मनरेगा को ईमानदारी से लागू किया गया है, वहां मनरेगा रामबाण औषधि का कार्य कर रही है। आन्ध्रप्रदेश इसका जीता–जागता उदाहरण है। भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए अब योजना में नवीन तकनीक के माध्यम से उपग्रह द्वारा कार्यस्थल की सीधी निगरानी की जा रही है।

उत्तराखण्ड राज्य के रूद्रपुर विकासखण्ड के अधिकतर गांवों में मनरेगा अपने विकास की कहानियां गढ़ रही है। कुछ गांवों की बुरी स्थिति को देखकर हम मनरेगा के अच्छे प्रभावों को नजर अंदाज नहीं कर सकते। अगर मनरेगा में दिनों की संख्या एवं मजदूरी बढ़ा कर अधिकाधिक लाभार्थियों के कौशल का विकास किया जाए, तो इस योजना की महत्ता में और वृद्वि हो जाएगी।

सन्दर्भ सूची–

1. प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, अंक–जून 2012, पृष्ठ 2025
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005, जनता के लिए प्रतिवेदन, 2 फरवरी 2015, पृष्ठ 3
3. www.nrega.nic.in
4. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, देहरादून संस्करण, 2 फरवरी 2017
5. कटारिया, डा0 सुरेन्द्र *"आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान"* कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक– दिसम्बर 2009, पृष्ठ 09
6. तिवारी, डा0 अतुल कुमार *''नरेगा ग्रामीण भारत मे बदलाव लाने का अभियान''*, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक– दिसम्बर 2009, पृष्ठ 13
7. सेतिया, सुभाष *''नरेगा ने खोले गांवों में रोजगार के नए द्वार''*, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक– दिसम्बर 2009, पृष्ठ 17
8. सेतिया, सुभाष *''गांवों में कायापलट का क्रान्तिकारी कदम–मनरेगा''*, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक– फरवरी 2014, पृष्ठ 33
9. सिन्हा, अमरजीत *"आजीविका के माध्यम से बदलता ग्रामीण जीवन"*, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक– मई 2017, पृष्ठ 5
10. ओसवाल, निकिता (2014) *''परफॉमेन्स ऑल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलयोमेंट गारण्टी स्कीम विद् स्पेशल रेफेन्स टू हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा''*, चिन्तन त्रैमासिक रिसर्च जर्नल, अंक– जनवरी–मार्च 2014, पृष्ठ 408–414
11. जोशी, कु0 ज्योति तथा कौर डॉ0 कवलजीत (2015) *''ग्रामीण श्रमिकों पर मनरेगा के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन''*, समाज विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड–2, III, निर्गमन– अक्टूबर 2014 से मार्च 2015, पृष्ठ 65–69
12. सुमन, सनी कुमार (2014) *''मनरेगा कार्यक्रम और जातीय पृश्ठभूमि एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''*, राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा, अंक 16 (1), निर्गमन– जनवरी–जून 2014, पृष्ठ 111–115

13. सिंह, विक्रम *''भारत के ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदान एवं चुनौतियां'',* राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा, निर्गमन–जनवरी–जून 2014, अंक 16 (1) पृष्ठ 167–170

14. दास, श्रेयसी तथा सिंह, अभिलाषा– *'द इम्पेक्ट ऑफ टेम्पेयरी वर्क गारण्टी प्रोग्रामस ऑन चिल्ड्रन्स एजुकेशनः ऐविडेन्स फाम द मनरेगा एक्ट फाम इण्डिया'',* यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक्स व्हाइट वाटर।

15. पाराशर, शरद कुमार **(2013)** *''छतरपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लाभान्वित हितगाहियों का अध्ययन'')''* पी–एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर।

16. कुमार, शिव (2014) *''महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) का ग्रामीण विकास पर प्रभाव (उत्तर प्रदेश के लखनऊ व बरेली मण्डल का तुलनात्मक अध्ययन)''* पी–एच0 डी0 शोध प्रबन्ध,लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

17. Rajesh (2015) ***"Working an MNREGA: A Study of Haryana and Punjab"*** Ph.D. Thesis, Kuruksherta University, Kuruksheta.

18. **Murthy Srikantha (2015)** *''**Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and its Impact on the Rural Economy in Karnataka'.***